(नियम 20)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), निवाई जिला टोंक

दावा संख्या 99 वर्ष 2024

भैरू बनाम प्रभु लाल वगै.

दावा बाबत उदघोषणा एवं दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख आदेश जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 29.10.2024 | पत्रावली श्री रमेश कुमार शर्मा एडवोकेट ने पेश की। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। पेशशुदा तलबाने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजि0 डाक से की जाकर पत्रावली दिनांक 19/11/24 को पेश हो। | 5092 - 5094 05/11/24 |
| 27/11/24 | प्रार्थना बाबत मिसल तलबी व शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पेश होने पर पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनिल वकीलवादी ने निवेदन किया कि वादपत्र मय के मय आपसी रागीनामा हो चुका है। प्रार्थीगण वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। और वाद को नोट-प्रेस में खारिज करवाना चाहते है। अवलोकन किया वादी का वाद नोट-प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली अमल होकर नस्ती कर दी जावे फास्ट ट्रेक हो। | Not Press में लिखे मजमून |

Scanned with OKEN Scanner